भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2471
सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण 1948 (शक)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की समीक्षा और कार्यान्वयन

†2471. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है;
(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले प्रथम बार रोजगार प्राप्त कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों तथा नियोक्ताओं के आंकड़े रखती है और यदि हां, तो महाराष्ट्र, विशेष रूप से जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष प्रोत्साहन देना शुरू किया हैं तथा उक्त योजना के भाग-'ख' के अंतर्गत नियोक्ताओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने लाभों के पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तंत्र स्थापित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन का विस्तार करने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, रोजगार क्षमता को बढ़ाने तथा एमएसएमई एवं ग्रामीण उद्यमों सहित सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 2025 को "प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)" नामक रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को अनुमोदित किया।

इस योजना में दो भाग अर्थात भाग क और भाग ख हैं, और यह प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

योजना के भाग क के अंतर्गत, मौजूदा और नए दोनों स्थापनों के पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी अधिकतम 15,000 रूपये के अध्यधीन, एक माह के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन के पात्र होंगे। यह प्रोत्साहन नौकरी के पहले वर्ष के दौरान दो किस्तों में देय होगा। 7,500 रूपये तक की पहली किस्त, छह माह की नियमित नौकरी पूरी होने के बाद संवितरित की जाएगी। दूसरी किस्त की पात्रता बारह माह की नौकरी पूरा होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद होगी। यह दूसरी किस्त एक निर्दिष्ट अवधि हेतु एक उपयुक्त बचत लिखत/बचत खाते में जमा की जाएगी।

जारी..2/-

भाग ख नियोक्ताओं को दो वर्षों हेतु कम से कम 6 महीने तक बनाए रखे गए प्रत्येक अतिरिक्त नौकरी के लिए 3,000 रूपये प्रति माह तक प्रदान करके प्रोत्साहित करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र हेतु अतिरिक्त दो वर्षों के लिए विस्तारित लाभ शामिल हैं।

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले नए और साथ ही छूट प्राप्त स्थापनों सहित सभी स्थापन इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, बशर्ते वे नियमित रूप से अंशदान के साथ ईसीआर दाखिल करते हों और योजना की अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रोत्साहनों की पात्रता मानदंडों को रेखांकित करने वाले व्यापक योजना दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। देश भर में व्यापक पहुंच संबंधी प्रयासों के माध्यम से इस योजना और इसके उपबंधों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और लाभार्थियों तथा क्षेत्र-वार प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी करने हेतु एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक सुदृढ़ निगरानी ढांचा स्थापित किया गया है। योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम-गहन और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधित्व वाली एक संचालन समिति और एक आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

योजना में आवश्यक सुधार के लिए एक मध्यावधि मूल्यांकन और किसी तीसरे पक्ष द्वारा योजना के परिणामों का आकलन करने हेतु एक अंतिम मूल्यांकन का भी उपबंध है।

कर्मचारियों को प्रोत्साहनों का भुगतान उनके आधार संबद्ध बैंक खातों में (आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाता है और स्थापनों के पैन लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके स्थापनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में योजना के अंतर्गत इसके कार्यान्वयन की शुरुआत से लेकर जून, 2026 तक भाग क और भाग ख के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक -I** में दिया गया है।

जलगांव जिले सहित महाराष्ट्र राज्य के लिए योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत से लेकर जून, 2026 तक योजना के भाग क और भाग ख के तहत लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

** *****

संलग्नक-I

"प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की समीक्षा और कार्यान्वयन" के संबंध में श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2471 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

(दिनांक 14 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार**)**

राज्य	**भाग क**		**भाग ख**	
	पहली बार आने वाले लाभार्थियों की संख्या	**संवितरित कुल राशि (रुपये में)**	**लाभार्थी स्थापना की संख्या**	**संवितरित कुल राशि (रुपये में)**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	353	2265364	27	3080177
आंध्र प्रदेश	34673	168487149	1447	355493274
अरुणाचल प्रदेश	254	1138212	20	1814835
असम	7879	34658951	526	90696260
बिहार	17255	86204143	474	133695908
चंडीगढ़	3881	24185370	208	89799536
छत्तीसगढ़	16599	78819672	918	180033503
दादरा और नगर हवेली	2618	13477878	187	40294284
दमन और दीव	1604	8254081	99	23512028
दिल्ली	85616	532505789	3632	1498800611
गोवा	4627	28186465	385	79231411
गुजरात	87381	496862325	5794	1631361034
हरियाणा	76971	455602523	3691	1518758075
हिमाचल प्रदेश	8318	45927795	605	99325277
जम्मू और कश्मीर	3707	17750157	212	52323604
झारखंड	11961	61215501	747	194566368
कर्नाटक	157284	1017585316	7707	2830727347
केरल	31915	192097069	1437	405948821
लद्दाख	31	204608	5	484089
लक्षद्वीप	15	97727	-	-
मध्य प्रदेश	35605	177753668	1663	315471640
महाराष्ट्र	**249068**	**1494229385**	**12704**	**4359523430**
मणिपुर	513	1765615	25	2308835
मेघालय	896	5282892	36	9241718
मिजोरम	312	2048907	7	517702
नागालैंड	364	1694326	15	3481547
ओडिशा	21875	112151379	1354	337514769
पुदुचेरी	2660	12695893	156	20281434
पंजाब	24430	130970037	1289	282549834
राजस्थान	44421	202100767	2542	529555818
सिक्किम	557	3328479	33	11746810
तमिलनाडु	152698	874765367	7260	2134115387
तेलंगाना	82905	444465975	3778	1190248790
त्रिपुरा	805	3537565	37	9847727
उत्तर प्रदेश	69364	383493402	4033	1357953096
उत्तराखंड	13998	76420136	823	206115676
पश्चिम बंगाल	64716	254773968	3493	688133501
कुल	**1318129**	**7447003856**	**67369**	**20688554156**

संलग्नक-II

"प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की समीक्षा और कार्यान्वयन" के संबंध में श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2471 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

(दिनांक 14 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार)

महाराष्ट्र के जिले	लाभार्थी स्थापनों की संख्या	पहली बार के लाभार्थियों की संख्या
अहमदनगर	149	2262
अकोला	20	347
अमरावती	43	986
औरंगाबाद	432	5881
भंडारा	20	230
बीड	19	368
बुलढाणा	30	597
चंद्रपुर	68	1705
धुले	30	578
गढ़चिरोली	3	595
गोंदिया	16	386
हिंगोली	2	52
जलगांव	**69**	**1463**
जालना	29	648
कोल्हापुर	221	3336
लातूर	33	432
मुंबई शहर	1953	35975
मुंबई उपनगर	2091	63997
नागपुर	451	8171
नांदेड़	21	424
नंदुरबार	5	78
नासिक	517	6462
उस्मानाबाद	9	231
पालघर	242	3178
परभनी	22	256
पुणे	3849	69915
रायगढ़	378	3830
रत्नागिरि	53	773
सांगली	68	1457
सतारा	139	2134
सिंधुदुर्ग	12	141
सोलापुर	105	1704
ठाणे	1553	29525
वर्धा	23	454
वाशिम	4	91
यवतमाल	25	406
	12704	**249068**
